न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –96/2016 जिला सीकर

1. छोटूराम पुत्र श्री पोखरमल, जाति जाट, निवासी ढाणी उदाला तनसिरोही तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)
2. रोहिताश पुत्र श्री जगदेव, जाति जाट, निवासी ढाणी उदाला तन सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. घासीराम पुत्र श्री कालूराम, जाति जाट, निवासी ढाणी उदावाली तन सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 12.11.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री गोपाल शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक 30.10.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.11.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट घासीराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष अन्तर्गत धारा 111/128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1883/3 रकबा 0.61 हैक्टेयर ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना का वह खातेदार काश्तकार है । तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांकः 111 दिनांक 17.10.16 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.10.16 को मौके पर उपस्थित खातेदारान व अन्य मौतबीरान के समक्ष चौमेडा को मुश्तकिल प्वाईट मानकर नक्शा अनुसार नपती की गई एवं उक्त भूमि भूमि की सींव कायम की गई व सीमाओं पर निशानदेही करवाई जाकर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की गई । भूमि की स्थिति एवं सीमाओं के बाबत भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो इसलिये उक्त भूमि की मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.10.16 के अनुसार पत्थरगढी करवाई जावे । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.16 पारित कर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि वे सींव जोड काश्तकारान को जरिए नोटिस सूचित कर एवं विधिवत तामिल कराकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1883/3 रकबा 0.61 हैक्टेयर ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.10.2016 के अनुरूप करावें । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 12.11.16 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 96 सी.पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के लादूराम के तीन पुत्र पोखरमल, कालूराम, धोकलराम खातेदार थे परन्तु खसरा नम्बर 1282/1676/2 के हाल खसरा नम्बर 1883/3 बने एवं लादूराम के वारिसान अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज रहे लेकिन भू प्रबन्ध के दौरान उक्त खसरा नम्बर कालूराम के नाम से दर्ज हो गया जिसके द्वारा दिनांक 18.6.1982 को पॉच रूपय के स्टाम्प पर लिखित में घोषणा की थी कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1282/1676 में सभी भाईयों का हिस्सा निहित है परन्तु सैटलमेन्ट के दौरान केवल उसके नाम ही अंकित हो गया, जो

गलत है । कालूराम की मृत्यु होने के पश्चात् उसके पुत्रों के मन में खोट आ जाने के कारण वे अपीलान्ट्स को भूमि से बेदखल करना चाहते हैं । अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हें । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है । उनका कहना था कि अपीलार्थीगण द्वारा एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें पक्षकारों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा होनी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के विचाराधीन रहते अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि पटवारी हल्का ने रेस्पोंडेन्ट 1 से मिली भगत कर मौके पर गये बिना ही कार्यालय में बैठकर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की है जिस पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने हतधारी व्यक्ति अपीलान्ट्स को बिना सुने एवं पटवारी की एकपक्षीय सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करने के अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.16 की कियान्विति में तहसीलदार ने दिनांक 10.12.2016 को पालना करते हुये पत्थरगढी की जाकर रिपोर्ट तैयार करदी है ऐसी स्थिति में यह अपील बेसुद (इन्फ्रक्चुवस) हो गई है । उनका कहना था कि पत्थरगढी की आज्ञा लैण्ड रिकार्ड से संबंधित नहीं है इसलिये निदेशक भू अभिलेख के समक्ष यह अपील मेन्टेनेबल नही है । अपीलान्ट के विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं है इसलिये धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र व अपील निरस्तनीय है । उनका कहना था कि किसी लिखावट के आधार पर अपीलान्ट्स के कोई हक हकूक बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय से तय होगें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने रेस्पोंडेन्ट घीसराम का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2016 से स्वीकार कर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि वे सींवजोड काश्तकारान को जरिए नोटिस सूचित कर एवं विधिवत तामिल कराकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1883/3 रकबा 0.61 हैक्टेयर ग्रम सिरोही तहसील नीमकाथाना की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.10.2016 के अनुरूप करावें ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश एवं रेकार्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये व उन्हें बिना सुने तथा विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना ही दिनांक 19.10.2016 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ, त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है होन से निरस्तनीय है । प्रकरण न्यायहित में पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 12.11.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर